कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा,दिनांकः 24 / 08 / 2017

– महाविद्यालय में समितियों के गठन संबंधी आदेश –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशो के अधीन महाविद्यालय की आंतरिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों तथा गवनैन्स को सुनिश्चित करने हेतु सत्र 2017–18 के लिये विभिन्न समितियों का गठन कर महत्वपूर्ण कार्यो के लिये प्रभारी सहा. प्राध्यापको एवं सदस्यों को उनके नाम के समक्ष आंतरिक जिम्मेदारियां दी जाती है। समस्त प्रभारी / संयोजक समय–समय पर प्राचार्य की अध्यक्षता में समितियों की बैठक आयोजित कर कार्य संपादित करें तथा समितियों के निणर्यो की प्रतिलिपि प्राचार्य को सौप कर उन्हें अवगत करावें। समस्त प्रभारी / संयोजक के कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च के पूर्व प्राचार्य को सौंपे निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है :–

क.	समिति का नाम	समिति के सदस्यों का नाम	पदनाम
01	स्टाफ काउंसिल	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
02	आई.क्यू.ए.सी.	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
03	यू.जी.सी	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
04	रूसा	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
05	बार कौसिल	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
06	महाविद्यालय जनभागीदारी समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य

18	कीड़ा समिति	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
19	विधिक सहायता केन्द	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
20	आंतरिक मूल्यांकन समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
21	हेल्प–डेस्क	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
22	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	डॉ.रीता दीवान	संयोजक
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
23	समय–सारणी समिति	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
24	परिसर रख–रखाव एवं स्वच्छता समिति	श्री घनश्याम सिंह ठाकुर	संयोजक
		श्री मंगलू राम निषाद	सदस्य
		श्री अजित कुमार वर्मा	सदस्य
25	शिक्षक अभिभावक योजना	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
26	शोध समिति	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
27	मीमांसा (साप्ताहिक सेमीनार)	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.रीता दीवा	सदस्य

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
College Code 1210
Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा,दिनांक: 21 / 08 / 2019

– महाविद्यालय में समितियों के गठन संबंधी आदेश –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशो के अधीन महाविद्यालय की आंतरिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों तथा गवनैन्स को सुनिश्चित करने हेतु सत्र 2019–20 के लिये विभिन्न समितियों का गठन कर महत्वपूर्ण कार्यो के लिये प्रभारी सहा. प्राध्यापको एवं सदस्यों को उनके नाम के समक्ष आंतरिक जिम्मेदारियां दी जाती है। समस्त प्रभारी / संयोजक समय–समय पर प्राचार्य की अध्यक्षता में समितियों की बैठक आयोजित कर कार्य संपादित करें तथा समितियों के निणर्यो की प्रतिलिपि प्राचार्य को सौप कर उन्हें अवगत करावें। समस्त प्रभारी / संयोजक के कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च के पूर्व प्राचार्य को सौंपे निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है :–

क.	समिति का नाम	समिति के सदस्यों का नाम	पदनाम
01	स्टाफ काउंसिल	डॉ.सरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
02	आई.क्यू.ए.सी.	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
03	यू.जी.सी	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
04	रूसा	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
05	बार कौसिल	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य

17	अनुशासन / एण्टी रैगिंग समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
18	अतिथि व्याख्याता चयन समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
19	कीड़ा समिति	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
20	विधिक सहायता केन्द्र	डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	संयोजक
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
21	आंतरिक मूल्यांकन समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
22	हेल्प–डेस्क	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
23	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	डॉ.रीता दीवान	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
24	समय–सारणी समिति	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
25	परिसर रख–रखाव एवं स्वच्छता समिति	श्री घनश्याम सिंह ठाकुर	संयोजक
		श्री अजीत कुमार वर्मा	सदस्य
		श्री मंगलू राम निषाद	सदस्य
26	शिक्षक अभिभावक योजना	डॉ.रीता दीवान	संयोजक
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य
27	शोध समिति	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक
		डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य

1.1.1

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Phone No-07726-222912
Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

College Code 1210

भाटापारा,दिनांकः 10/09/2020

–समितियों के गठन संबंधी आदेश–

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशो के अधीन संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु **दिनांक 10/09/2020** से निम्नांकित विवरण अनुसार समितियों का गठन किया जाता है :–

क.	समिति का नाम	समिति के सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	स्टाफ काउंसिल	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
02	आई.क्यू.ए.सी.एवं यू.जी.सी.	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंषी	सदस्य	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
03	रूसा	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
04	बार कौसिल	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
05	महाविद्यालय जनभागीदारी समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
06	छात्रवृत्ति समिति (बी.पी.एल.छात्रवृत्ति) / (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
07	लोक सेवा गारंटी	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
08	सूचना का अधिकार	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	

09	पुस्तकालय प्रभारी प्राध्यापक	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
10	महिला उत्पीड़न निशेध समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
11	कय समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
12	आंतरिक लेखा परीक्षण	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
13	ए.आई.एस.एच.ई.समिति	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	21/11/2020
14	NSS समिति	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	21/11/2020
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
15	सम्मिलित विकास निधि	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
16	अनुशासन/एण्टी रैगिंग समिति	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
17	अतिथि व्याख्याता चयन समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
18	कीड़ा समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
19	विधिक सहायता केन्द्र	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	21/11/2020
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
20	आंतरिक मूल्यांकन समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	21/11/2020
21	हेल्प–डेस्क	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College Code 1210

Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

पत्र कमांक / 109 / समिति / 2021–22 भाटापारा,दिनांक: 13 /08/ 2021

– महाविद्यालय में समितियों के गठन संबंधी आदेश –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशो के अधीन महाविद्यालय की आंतरिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों तथा गवनैन्स को सुनिश्चित करने हेतु सत्र 2021–22 के लिये विभिन्न समितियों का गठन कर महत्वपूर्ण कार्यो के लिये प्रभारी सहा. प्राध्यापको एवं सदस्यों को उनके नाम के समक्ष आंतरिक जिम्मेदारियां दी जाती है। समस्त प्रभारी / संयोजक समय–समय पर प्राचार्य की अध्यक्षता में समितियों की बैठक आयोजित कर कार्य संपादित करें तथा समितियों के निणर्यो की प्रतिलिपि प्राचार्य को सौप कर उन्हें अवगत करावें। समस्त प्रभारी / संयोजक के कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च के पूर्व प्राचार्य को सौंपे निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है :–

क.	समिति का नाम	समिति के सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	स्टाफ काउंसिल	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	13/8/2021
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
02	आई.क्यू.ए.सी. एवं ए.आई.एस.एच.ई.	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	13/8/2021
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	13.08.21
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
03	रूसा	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	13/8/2021
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
04	बार कौसिल	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	13/8/2021
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
05	महाविद्यालय जनभागीदारी समिति	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	13/8/2021
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
06	छात्रवृत्ति समिति बी.पी.एल.छात्रवृत्ति / पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	डॉ. रीता दीवान	संयोजक	
07	लोक सेवा गारंटी	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	13/8/2021

20	विधिक सहायता केन्द्र	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.धुवंशी	सदस्य	
21	आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.धुवंशी	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
22	हेल्प–डेस्क	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.धुवंशी (छात्र संघ प्रभारी)	सदस्य	
		डॉ.रीता दीवान (महिला प्राध्यापक)	सदस्य	
23	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
24	समय–सारणी समिति	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
25	परिसर रख–रखाव एवं स्वच्छता समिति	डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	NSS अधिकारी	
		डॉ.ए.एल.धुवंशी	सदस्य	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.निधि मिश्रा	सदस्य	
		श्री अजीत कुमार वर्मा	सदस्य	
		श्री मंगलू राम निषाद	सदस्य	
26	शिक्षक अभिभावक योजना	डॉ.ए.एल.धुवंशी	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
27	शोध समिति	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		डॉ.ए.एल.धुवंशी	सदस्य	
28	मीमांसा (साप्ताहिक सेमीनार)	डॉ.ए.एल.धुवंशी	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	सदस्य	
29	वेबसाइट समिति	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.राम आशीष श्रीवास्तव	संदस्य	
30	एस.सी., एस.टी., समिति	डॉ.ए.एल.धुवंशी	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	
		श्री मंगलू राम निषाद	सदस्य	
31	एक भारत श्रेष्ठ भारत	डॉ.रीता दीवान	संयोजक	
		डॉ.ए.एल.धुवंशी	सदस्य	
32	स्पर्श सेल (Sparsh Cell)	डॉ.निधि मिश्रा	संयोजक	
		डॉ.रीता दीवान	सदस्य	

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांकः 25 / 11 / 2017

// सूचना //

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापको को सूचित किया जाता है कि अपने संबधित विषयो / प्रश्न पत्रो पर अधोलिखित तिथियों में प्री फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एंव 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंद लिफाफे में आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनॉक 30.11.2017 तक जमा करेंगे।

// समय सारणी //

प्रश्न पत्र	दिनॉक	समय
प्रथम	04.12.17	11.00 से 02.00
द्वितीय	06.12.17	11.00 से 02.00
तृतीय	08.12.17	11.00 से 02.00
चतुर्थ	11.12.17	11.00 से 02.00
पंचम	13.11.17	11.00 से 02.00

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Naveen Vidhi College, Bhatapara
Dist. Baloda Bazar - Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांकः 25 / 11 / 2017

// सूचना //

महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपकी प्री फाइनल परीक्षा अधोलिखित तिथियों में आयोजित की जा रही हैं। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

// समय सारणी //

प्रश्न पत्र	दिनॉक	समय
प्रथम	04.12.17	11.00 से 02.00
द्वितीय	06.12.17	11.00 से 02.00
तृतीय	08.12.17	11.00 से 02.00
चतुर्थ	11.12.17	11.00 से 02.00
पंचम	13.11.17	11.00 से 02.00

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Naveen Vidhi College, Bhatapara
Dist. Baloda Bazar - Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College Code 1210

Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 02 / 12 / 2022

/ / सूचना / /

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों / प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 07 / 12 / 2022 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	08 / 12 / 2022	11 से 2
द्वितीय	10 / 12 / 2022	11 से 2
तृतीय	12 / 12 / 2022	11 से 2
चतुर्थ	14 / 12 / 2022	11 से 2
पंचम	16 / 12 / 2022	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College Code 1210

Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 03 / 05 / 2022

/ / सूचना / /

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों / प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे। सभी प्राध्यापक विषय से संबंधित 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर समय सारणी अनुसार विद्यार्थियो को ऑनलाईन मोड मे उपलब्ध करायें।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	09 / 05 / 2022	11 से 2
द्वितीय	10 / 05 / 2022	11 से 2
तृतीय	11 / 05 / 2022	11 से 2
चतुर्थ	13 / 05 / 2022	11 से 2
पंचम	15 / 05 / 2022	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College Code 1210

Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 21/11/2019

// सूचना //

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों/प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 29/11/2019 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	03/12/2019	11 से 2
द्वितीय	05/12/2019	11 से 2
तृतीय	07/12/2019	11 से 2
चतुर्थ	10/12/2019	11 से 2
पंचम	13/12/2019	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College
Code
1210

Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 01 / 04 / 2019

/ / सूचना / /

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों / प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 05 / 04 / 2019 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	08 / 04 / 2019	11 से 2
द्वितीय	10 / 04 / 2019	11 से 2
तृतीय	12 / 04 / 2019	11 से 2
चतुर्थ	15 / 04 / 2019	11 से 2
पंचम	18 / 04 / 2019	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College
Code
1210

Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 01 / 04 / 2019

// सूचना //

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों / प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 05 / 04 / 2019 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	08 / 04 / 2019	11 से 2
द्वितीय	10 / 04 / 2019	11 से 2
तृतीय	12 / 04 / 2019	11 से 2
चतुर्थ	15 / 04 / 2019	11 से 2
पंचम	18 / 04 / 2019	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

College Code 1210

भाटापारा, दिनांक 26 / 11 / 2018

/ / सूचना / /

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों / प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 30 / 11 / 2018 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	03 / 12 / 2019	11 से 2
द्वितीय	05 / 12 / 2019	11 से 2
तृतीय	07 / 12 / 2019	11 से 2
चतुर्थ	10 / 12 / 2019	11 से 2
पंचम	12 / 12 / 2019	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Phone No-07726-222912 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा, दिनांक 28/03/2018

// सूचना //

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों/प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 31/03/2018 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	03/04/2018	11 से 2
द्वितीय	05/04/2018	11 से 2
तृतीय	07/04/2018	11 से 2
चतुर्थ	09/04/2018	11 से 2
पंचम	11/04/2018	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Naveen Vidhi College, Bhatapara
Dist. Baloda Bazar - Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
Email-principalgovtlawcollege@gmail.com
Phone No-07726-222912

भाटापारा, दिनांक 25 / 11 / 2017

// सूचना //

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अपने संबंधित विषयों/प्रश्न पत्रों पर अधोलिखित तिथियों में प्री–फाइनल परीक्षा सम्पादित करेंगे एवं 100 अंको का प्रश्न पत्र तैयार कर सील बंन्द लिफाफे मे आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी के पास दिनांक 30 / 11 / 2017 तक जमा करेंगे।

समय सारणी

प्रश्न पत्र	दिनांक	समय
प्रथम	04 / 12 / 2017	11 से 2
द्वितीय	06 / 12 / 2017	11 से 2
तृतीय	08 / 12 / 2017	11 से 2
चतुर्थ	11 / 12 / 2017	11 से 2
पंचम	13 / 12 / 2017	11 से 2

आंतरिक मूल्यांकन प्रभारी

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. Naveen Vidhi College, Bhatapara
Dist. Baloda Bazar - Bhatapara (C.G.)

B.A.LL.B. (Part-I) (First Semester)

Dec.-2021 (Pre-Final Exam)

Sociology

Time : Three Hours | Max. Mark:90

नोट : सभी पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है।

इकाई–I

1 (A) समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति का समझाइए। 9
What is Sociology? Explain the origin of Sociology.

(B) "समाजशास्त्र एक विज्ञान है"। व्याख्या कीजिए। 9
"Sociology is a Science". Explain.

अथवा (OR)

1 (A) विवाद से आप क्या समझते है? विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 9
What do you understand by Marriage? Discribe the types of Marriage.

(B) सामाजिक मूल्य क्या है'? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 9
What is Social Value. Explain its Importance.

इकाई–II

2 (A) आनुवंशिकता का अर्थ बताइए। समाज और आनुवंशिकता के मध्य अन्तःसंबंधों की 9
विवेचना कीजिए।
Give the meaning of Heredity. Discuss the interrelationship between Society and heredity.

(B) समाजीकरण क्या है? समाजिकरण के अभिकरणों का उल्लेख कीजिए। 9
What is Sociolization? Mention the Agencies of Sociolization.

अथवा (OR)

(A) स्व को परिभाषित कीजिए। स्व के विकास में मीड के योगदान को समझाए। 9
Define Self. Discribe the Contribution of Mead on Self development.

(B) मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्वांत पर एक लेख लिखिए। 9
Write an Essay on Class Struggle theory of Marx's.

इकाई–III

3 (A) नियमहीनता से आप क्या समझते है? नियमहीनता पर मर्टन के विचारों का उल्लेख कीजिए। 9

What do you understand by Anomie? Mention the View of Merton on Anomie.

(B) सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझाए। 9
Explain the concept of Social Structure.

अथवा (OR)

(A) सामाजिक नियंत्रण क्या है? इसके अभिकरणों का वर्णन कीजिए। 9
What is Social Control? Discribe its Agencies.

(B) औपचारिक सामाजिक नियंत्रक के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। 9
Mention the forms of formal Social Control.

इकाई–IV

4 (A) सामाजिक परिवर्तन क्या है? इसकी विशेषता बताइए। 9
What is Social Change? Explain its charactristics.

(B) सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारको का वर्णन कीजिए। 9
Discribe the Tecnological factors of Social change.

अथवा (OR)

(A) सामाजिक प्रकिया क्या है? सहयोगी एवं असहयोगी सामाजिक प्रकिया को समझाइए। 9
What is Social Process? Explain the Associative and Dis-associative Social Process.

(B) सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? भारत में सांस्कृतिक मूल्यों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 9
What is Cultural Change? Analyse the Trends of Cultural Values in India.

इकाई–V

5 (A) सामाजिक व्यवस्था में कानून का महत्व बताइए। 9
Explain the Importance of Law in Social System.

(B) कानून के सामाजशास्त्र पर एक लेख लिखिए। 9
Write a Note on Sociology of Law.

अथवा (OR)

(A) विधिक व्यवस्था क्या है? समाज पर विधिक व्यवस्था के प्रभाव को समझाइए। 9
What is Legal System? Explain the impact of Legal System on the Society.

(B) विधिक व्यवसाय पर एक लेख लिखिए। 9
Write a Note on Legal Profession.

ग्रंथालय आचार्य गोविंद सारंग शास० विधि महाविद्यालय
क्रमांक 489
दिनांक
भाटापारा (छ०ग०)

88/100

PRE-UNIVERSITY EXAM

GOVIND SARANG GOVT LAW COLLEGE

BHATAPARA. BALOD BAZAR. CG

CLASS: B.A.LL.B.

SEMESTER - 2nd

ROLL NO - 21260220111

ENROLLMENT NO - AGH/23170

NAME - Rukesh

SUBJECT - Political science.

PAPER - E - 1157

DATE 11/04/22

:- इकाई 01 :-

राज्य के आवश्यक तत्व

प्रस्तावना :-
राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट का हिन्दी रूपांतर है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के पोलिस ही कहा जाता था। वर्तमान में नगर राज्यों का स्थान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है।

अरस्तु के शब्दों में :-
"राज्य परिवार और ग्रामो का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है"

सिसरो के शब्दों में :-
"राज्य उस समुदाय को कहते है जिसमे यह भावना विद्यमान हो की सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभो का परस्पर मिलकर उपभोग करना है"

राज्य के आवश्यक तत्व

1) जनसंख्या :-
राज्य मनुष्यो की एक संरचना है मनुष्यों के बिना कोई मानव समुदाय नही बना सकता मनुष्यो के अभाव में राज्य की कल्पना ही नही किया जा सकता है।

17

2) निश्चित भू-भाग :- राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व भूमि है। बिना निश्चित भू-भाग के राज्य की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है बिना भूखण्ड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता है। जैसे राज्य का व्यक्ति विषयक आधार है जनता उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है।

3) शासन व सरकार :- राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व बिना राज्य का निर्माण पूर्ण नहीं माना जा सकता है। वह है शासन तंत्र तथा सरकार किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहां कोई सरकार न हो।

4) संप्रभुता :- राज्य का चौथा आवश्यक तत्व संप्रभुता है यह राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति। इसे राज्य का प्राण कहा जाता है। प्रभुसत्ता ही राज्य का वह तत्व है जो उसे समूहों और समुदायों में पृथक करता है। राज्य प्रभुसत्ता से अभिप्राय कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्ति तथा समुदायों आज्ञा प्रदान कर सके इन आज्ञाओं का पालन करा सके तथा बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो।

इकाई 02

उदारवाद सिद्धांत

प्रस्तावना :- उदारवाद व्यक्ति और राज्य के विकास में सहायक होते हैं। उदारवादी व्यक्ति अपने बारे में नहीं अपितु वह सब के हितों के बारे में सोचता है। राज्य और व्यक्ति के विकास में उदारता ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

1) निरंतर कार्य :- उदारवादी व्यक्ति निरंतर कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। वह राज्य के विकास व उन्नति के लिए निरंतर कार्य में जुड़ा होता है। वह हर व्यक्ति का विकास चाहता है। क्योंकि राज्य के विकास से व्यक्तियों का विकास होता है।

2) नैतिक स्वतंत्रता :- उदारवाद व्यक्तियों का हित ही सोचता है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र कार्य करता है। उदार से ही किसी कार्य को पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। लोगों का विकास से मतलब राज्य का विकास हो जाता है।

विशेषताएँ

1) राज्य को सर्वोपरि नहीं बनाना :- अगर राज्य को ही सब शक्ति प्रदान कर दिया जाता है तो राज्य किसी के बारे में भी नहीं सोचेगा वह केवल अपने ही फायदे के बारे में सोचने लगेगा राज्य व्यक्ति यों का शोषण करने लगेगा।

2) वित्तीय संरक्षण :- राज्य के मुद्रा व सारे संबंधित सभी कार्यों की भी सुरक्षा प्रदान राज्य का काम होता है लोगों के भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य करना चाहिए वित्तीय संबंधित सभी से संरक्षण प्रदान करना राज्य का दायित्व होता है।

3) आर्थिक स्वतंत्रता :- राज्य के आर्थिक संबंधित कार्य में स्वतंत्रता प्रदान करना अति आवश्यक है। क्यों कि हर व्यक्ति अपने कमाए हुए धन को अपने हिसाब से खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए"

4) राजनीतिक स्वतंत्रता :- राज्य में हर व्यक्ति को अपने मतानुसार नेता चुनने का पूर्ण अधिकार है। व्यक्तियों के विकास के लिए उन्हे राजनीतिक स्वतंत्रता देना ही आवश्यक समझा जाता है हर व्यक्ति व राज्य को स्वतंत्र सरकार प्रदान किया जाता है।

5) धर्म निर्पेक्षता पर बल :- राज्य में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है लेकिन व्यक्ति व राज्य के विकास के लिए धर्म निर्पेक्षता पर जोर देना अति आवश्यक है"

6) राज्य के कार्य क्षेत्र सीमित न हो :- राज्य का क्षेत्र विस्तृत और बड़ा होना चाहिए ताकि उस राज्य का विकास अच्छे से हो सके. जिस राज्य क्षेत्र बड़ा होता है उस राज्य को विकसित और बड़ा माना जाता है।

7) राज्य को साधन मानते है. राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति का विकास कर्त्तव्य राज्य का होता ताकि वहा निवास करने वाले हर व्यक्ति विकास हो जिससे हर व्यक्ति का उन्नति होगा और सब भला होगा।

8) कानूनी सुधारो पर जोर :- किसी राज्य के राजनीतिक व्यवस्था के लिए नियम . कानून का सही से होना अति आवश्यक है। हर राज्य का एक नियम . कानून होता है। जिसे वहा के निवास करने वाले व्यक्ति यो को पालन करना पड़ता है। जिस राज्य कानूनी व्यवस्था खराब होता है वह राज्य विनाश की अग्रसर होता है।

॥ इकाई 03 ॥

कानून एवं राज्य

प्रस्तावना :- राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों की भलाई करना है परन्तु राज्य अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर सकता है जब राज्य के नागरिक आचरण के सामान्य नियमों का पालन करें। प्रत्येक राज्य लोकहित के लिए कुछ सामान्य नियमों का निर्माण करता है और उन नियमों का उल्लंघन करने वाले को दण्ड दिया जाता है।

ऑस्टिन के अनुसार :- "कानून संप्रभु की आज्ञा है।"

ग्रीन के अनुसार :- "अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है।"

कानून के स्रोत

1) रीति-रिवाज या परंपरा :- रीति-रिवाज कानून का प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति-रिवाजों का निर्माण नहीं होता वरन् वे विकास का परिणाम है समाज में प्रचलित वह रीति-रिवाज जो पुराने समय से चला आ रहा है उसे कानून के रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार रीति-रिवाज के निर्माण में न तो किसी संगठन का योगदान होता है और न ही उसे अपनाने या पालन करने के पीछे दण्ड की शक्ति होती है।

2) धर्म :- धर्म परम्परागत कानून को धार्मिक विश्वास कि मान्यता प्रदान कर जो सबल बनाता है। इस प्रकार कानून तथा धर्म में घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल में ईश्वर को ही समस्त सत्ता तथा कानून का निर्माता माना जाता था। अतः पादरियों तथा धर्म शास्त्रों के मध्य अभिव्यक्त कानूनों का स्वरूप दैवीय होता है।

3) न्यायिक निर्णय :- सामाजिक व्यवस्था जटिल होने के कारण कभी-कभी रीति-रिवाजों में संघर्ष उपस्थित हो जाता है और इस संघर्ष के कारण रीति-रिवाजों पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज के बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह ली जाती है जिनका निर्णय सर्वमान्य होता है।

4) कानूनी टीकाएँ :- प्रत्येक देश में कानून के ज्ञाता कठिन कानूनों के रूप को स्पष्ट करने हेतु कानून की व्याख्या कर ग्रंथों का निर्माण करते हैं जिन्हें कानूनी टीकाएँ कहा जाता है।

18

विश्लेषण कानून के आधारभूत अमूर्त सिद्धांत की विवेचना करते हुए उसके यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं।

5) समन्वय नीति या औचित्य :- कभी-कभी न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे विवादास्पद मामले आ जाते हैं जिनका हल वर्तमान कानूनों के आधार पर करना संभव नहीं होता है। ऐसे समय पर न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं।

6) व्यवस्थापन :- व्यवस्थापन कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में तो राजा ही सर्वेसर्वा होता था जिसके द्वारा कानून का निर्माण कार्य जाता था तथा जनता को कानून निर्माण कार्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता है।

कानून के प्रकार

1) साधारण कानून :- ये वे लिखित कानून हैं जो राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाए जाते हैं और व्यक्तियों एवं राज्यों के संबंधों को निर्धारित करते हैं।

2) अध्यादेश :- आदेश है जो असाधारण परिस्थितियों में राज्य की कार्यपालिका के प्रधान द्वारा जारी किए जाते हैं।

इकाई 4

संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन

प्रस्तावना :- संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका इसे उत्तरदायी व मंत्रिमण्डलात्मक शासन भी कहा जाता है।

गुण

1) व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग :- संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण के कार्य में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले कार्यपालिका के सदस्यों की सहायता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक सहयोग के आधार पर।

2) शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी :- संसदात्मक शासन में मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रियों को अपने पद बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान किया जाता है।

Page No.
Date

3) सरकार निरंकुश :- संसदीय शासन में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए वह कभी निरंकुश नहीं हो पाती। व्यवस्थापिका में विद्यमान विरोधी दल शासन पर अंकुश लगाए रखने का कार्य करता है।

4) गत्यावरोध की कम आशंका :- संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में सहयोग करती है जिससे गत्यावरोध उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं होती है।

5) राजनीतिक शिक्षा :- संसदात्मक शासन में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अवसर प्राप्त होता है जनता व्यवस्थापिका के कार्यों का विवरण रुचिपूर्वक पढ़ती है।

दोष

1) शक्ति विभाजन सिद्धांत का विरोध :- शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लोकतंत्र का अमूल्य सिद्धांत है किन्तु संसदात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है।

2) दलीय तानाशाही का भय :- संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका के निम्न सदन

Page No.
Date

में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है। उसके द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है।

3) निर्बल शासन :- संसदात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और राज्य के प्रशासन के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तर दायि हो।

4) कार्यकाल की अस्थिरता :- कार्यकाल की अस्थिरता के कारण मंत्रिगण ऐसी योजनाएं प्रस्तावित करने के लिए उत्सुक नहीं होते जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है।

अध्यक्षात्मक शासन :- अध्यक्षीय शासन प्रणाली का गठन संसदीय शासन प्रणाली के भिन्न सिद्धांत पर आधारित है इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से पृथक होती है। यह न तो उसमें ली जाती है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होती है।

गुण

1) स्थायित्व :- यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें सरकारों के बार-बार बदलने और मध्यावधि

चुनावों का खतरा नहीं रहता। सरकार एक निश्चित समयावधि के लिये निर्वाचित होती है।

2) नीतियों में स्थायित्व :- सरकार स्थायी रहने से उसकी बनने वाली नीतियाँ भी लंबे समय तक स्थायी रहने की गारंटी होती है। इसमें जनता व्यापारी और विदेशियों को सुनिश्चित रहती है।

3) कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक :- शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित इस व्यवस्था का यह अर्थ नहीं है कि कार्यपालिका निरंकुश है इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका को अपनी नीतियों के क्रियान्वय किया।

4) विशेषज्ञों का शासन :- संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विशेषज्ञों और निपुण लोगों द्वारा शासित प्रणाली मानी जाती है। राष्ट्रपति अपने सलाहकारों की नियुक्ति दलगत राजनीति से पृथक होकर करता है।

5) कार्य कुशलता अधिक :- इस शासन प्रणाली में कार्य कुशलता अधिक होती है। क्योंकि शासन का प्रत्येक अंग किसी विशेष कार्य को दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किये बिना पूरा करता है।

दोष

1) उत्तरदायित्वहीनता :- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्य पालिका अनुत्तरदायी होती है अतः वह एक निश्चित समयावधि के लिये निरंकुश बन जाती है।

2) विधायी और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग :- आपस में सहयोग का अभाव इस शासन व्यवस्था का मुख्य दोष है। इससे न प्रशासन ठीक प्रकार से चल पाता है। न उसकी आवश्यकता के अनुरूप विधि बन पाती है।

3) कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य संघर्ष :- अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन के सिद्धांत के कारण कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य संबंध सामंजस्यपूर्ण नहीं होते है।

4) कार्यपालिका के निरंकुश बनने का भय :- इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और इस अवधि के पहले उसे केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।

5) न्यायपालिका का अनुचित हस्तक्षेप :- यदि हम अध्यक्षीय प्रणाली का अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में करे तो स्पष्ट होता है कि संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका का हस्तक्षेप अत्यधिक है।

दोनो मे अंतर :

1) कार्यपालिका के आधार पर :- संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का रूप दोहरा होता है। एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक पहले को राज्याध्यक्ष तथा दूसरे को शासनाध्यक्ष कहते है।

2) कार्यकाल के आधार :- संसदात्मक शासन में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता व्यवस्थापिका किसी भी समय अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है।

3) उत्तरदायित्व के आधार पर :- संसदात्मक शासन मे वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर अविश्वास का प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव आदि।

4) शासन की शक्ति के आधार :- संसदात्मक शासन का आधार व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका शक्तियो का संयोजन है इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एक दूसरे के सहयोग से मिलजुलकर कार्य करती है।

5) मंत्रियो की स्थिति :- संसदात्मक शासन में मंत्रियो की स्थिति उच्च स्तर की होती है।

: इकाई 05 :-

लोकमत एवं सहभागिता

प्रस्तावना :- प्राय लोक लोकमत का अर्थ बहुमत अथवा सर्वसम्मति से लेते है जोकि गलत है कई बार बहुमत भी गलती कर सकता है और वह अल्पसंख्यक के हितो की उपेक्षा कर सकता है लेकिन लोकमत उसे कहते है जो कि विवेक और स्वार्थ रहित सहिद के आधार पर आश्रित हो और जिसका लक्ष्य किसी जाति या वर्ग विशेष का हित नहीं अपितु संपूर्ण समाज का हितो हो।

लार्ड ब्राइस के शब्दो मे :- साधारणतया लोकमत का अभिप्राय उन बातो के संग्रह मे जिनमें समाज की रुचि होती है अथवा जो समाज पर प्रभाव डालते है उन पर मनुष्यो के जो विचार होते है उनके योग से होते है।

लोक निर्माण के साधन

1) न्यूज पेपर / समाचार पत्र :- वर्तमान समय में समाचार पत्र और पत्रिका लोकमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है लिंकन ने समाचार पत्रो को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है।

समाचार पत्र खराब सरकार की आलोचना करता है और निर्भीकतापूर्वक लोकमत का निर्माण करते है।

2) रेडियो और टेलीविजन :- रेडियो और टेलीविजन अब केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं रह गए है। ये जनता को शिक्षा देकर लोकमत का निर्माण करने में सहायक होते है।

3) सिनेमा / चित्रपट :- वर्तमान समय में सिनेमा ने भी लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सिनेमा का जन साधारण के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और दर्शको की भावनाएं उत्तेजित होती है।

4) शिक्षा संस्थाएं :- स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियो के मानसिक चेतना उत्पन्न करते है। विद्यार्थियो के चरित्र निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

5) राजनीतिक दल :- लोकमत के निर्माण में राजनीतिक दलो का विशेष महत्व है। प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ सिद्धांत उद्देश्य व आदर्श होते है जिनकी प्राप्ति के लिए वे संगठन का निर्माण करते है। वे जनता को अपनी विचारधारा तथा लक्ष्यो से परिचित कराते है।

6) धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं :- वर्तमान समय में धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं भी लोकमत निर्माण का प्रमुख साधन है। धार्मिक संस्थाएं लोगो के मिलन के केन्द्र होते है जहाँ उन्हे धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। धार्मिक संस्थाएं धार्मिक विचारो का प्रचार-प्रसार करके लोकमत निर्माण में योगदान देती है।

7) सार्वजनिक सभाएं :- सार्वजनिक सभाएं भी लोकमत निर्माण का बहुत बड़ा साधन है मंत्री जनता में सरकार की नीतियो का प्रचार करते है तथा विरोधी दल जनता को सरकार की त्रुटियाँ बताते। इससे लोगो के सही विचार बन जाते है जो सार्वजनिक सभाओ में नेताओ द्वारा प्रस्तुत किए जाते है।

8) चुनाव :- लोकमत प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन चुनाव भी है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावो के दौरान अपनी विचारधारा तथा कार्यक्रम जनता के समक्ष रखता है। इससे लोगो के राजनीतिक विचार बनते

सुशिक्षित जनता :- स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक

B.A. LL.B III Semester 2017-18

क्र.	नाम	20 अंक प्रथम सत्र परीक्षा				20 अंक द्वितीय सत्र परीक्षा				100 अंक प्री फाइनल परीक्षा			
		Political Science II	History II	Economics II	Contract I	Political Science II	History II	Economics II	Contract I	Political Science II	History III	Economics II	Contract II
1	अभिनव तिग्गा	10	A	A	09	12	A	A	11	A	A	45	40
2	अंजु जांगड़े	12	11	11	10	11	12	12	10	44	54	37	50
3	भैरव सिंग	12	12	12	11	12	13	11	11	50	47	43	51
4	गोविन्द नारायण सेन	09	11	08	12	10	10	07	08	49	49	43	47
5	गोवर्धन	11	A	12	12	11	A	A	10	37	A	33	40
6	गुंजिता साहू	09	09	11	11	10	10	11	P	P	P	P	11
7	लोकेश निकुसे	12	11	13	11	13	07	11	11	57	60	37	49
8	हेमलता यादव	11	12	07	13	10	12	12	11	44	37	49	43
9	मनीषा ध्रुव	11	12	12	09	12	11	11	13	56	43	51	60
10	प्रीति	10	09	10	12	13	10	12	12	57	51	43	57
11	रूपाली मिश्रा	13	12	11	11	12	13	13	14	61	61	47	59
12	संजना देवांगन	11	12	12	07	11	12	12	11	57	50	50	61
13	शैलबाला मिश्रा	13	13	14	10	11	11	12	12	67	59	63	63
14	शशांक चौबे	A	A	08	07	08	06	A	A	21	23	30	19
15	श्रुति सेन	10	11	12	12	13	12	12	11	47	53	52	49

क्र	नाम	प्रथम सत्र परीक्षा				द्वितीय सत्र परीक्षा				फाइनल परीक्षा			
		Political science II	History II	Economics II	contract I	Political Science II	History II	Economics II	contract I	Political Science II	History II	Economics II	contract I
16	शुभम तिवारी	13	14	12	12	12	11	12	10	12	12	13	12
17	त्रिमूर्ति देव	11	10	12	12	11	12	13	12	12	10	11	12
18	विया बारेठर	11	12	10	12	11	12	12	13	11	11	11	12

प्रभारी
आंतरिक मूल्यांकन

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Naveen Vidhi College, Bhatapara
Dist. Baloda Bazar - Bhatapara (C.G.)